Government of India
Department of Water Resources, RD & GR
Central Water Commission
(Establishment-VII Section)

Sewa Bhawan, Room No.528 (N),
R.K. Puram, New Delhi – 110066.
Dated: 2026

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Filling up the post of Storekeeper at Central Water Commission, Delhi on deputation/ absorption basis – regarding.

*****

It is proposed to fill up one post of Storekeeper in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) as per 7th CPC, (in PB-I of Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/- as per 6th CPC) at CWC, Delhi on deputation/absorption basis from amongst Central/State Government Officers fulfilling the following eligibility conditions :-

Officers under the Central Government or State Government:

a) i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

ii) With eight years regular service in the post in the level-2 in the pay matrix as per 7th CPC (PB- 1 Rs.5200-20200 along with grade pay Rs.1900 as per 6th CPC) or equivalent in the parent cadre or department; and

b) Possessing the educational qualifications and experience as under.

i) Graduation from a recognized University/ Institution.

ii) Three years experience of holding stores and store accounts.

2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.

3. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.

4. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or

the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit shall extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

5. The pay of the officers selected will be regularized in accordance with the DOPT, OM No.2/29/91-Estt.PC(II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

6. Other terms/conditions as stipulated in Orders/Rules issued by the Govt. of India from time to time will also be applicable.

7. It is requested that application in duplicate in the enclosed prescribed Performa along with:-

i. Attested copies of APARs for last five years;
ii. Vigilance Clearance Certificate;
iii. No Penalty Statement and Integrity Certificate in respect of interested and eligible officers, who can be spared immediately in the event of their selection, may be forwarded to this Commission within 60 days from the date of issue of this circular/publication in Employment News, whichever is later.

8. Applications received after the prescribed time limit or otherwise found incomplete will not be entertained.

Encl: Performa.

Digitally signed by
NISHA GUPTA
Date: 07-08-2026
16:41:23

(Nisha Gupta)
Under Secretary
Email estt7@nic.in
011-29583287
.

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of Government of India.

2. All Subordinate Offices of CWC/RD Directorate, CWC, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi.
3. All Sections/Dtes./Units of CWC.
4. The Director, SMD, CWC for uploading the same in CWC Website.
5. Under Secretary (Estt-I), Department of Water Resources, RD & GR. It is requested that this OM may also be uploaded on the Website of DoWR, RD & GR.
6. The DoPT, North Block New Delhi. It is requested that this OM may also be uploaded on the Website of the DoPT.
7. File Folder.

PART-I

BIO-DATA

1.	Name	
2.	Date of Birth	
3.	Date of retirement under Central Government or State Government Rules	
4.	Education Qualification	
5.	Whether experience required for the post are satisfied	
6.	Present post held, date from which held and the pay band and grade pay therein	
7.	Whether willing to be considered for	
	(a) On deputation basis	
	(b) On absorption basis	
8.	Experience holding Stores and Store Accounts	
9.	Details of Service:	
	(1) Name of the posts held and employer	
	(2) From	To:
	(3) Pay Band + Grade Pay	
	(4) Nature of appointment i.e. whether ad-hoc or regular	
10.	Whether belong to SC/ST	
11.	Address for communication and Telephone number	
12.	Remarks if any	

(Signature of Candidate)

Date :

Place :

Contd...........P/2.

PART - II

(TO BE FILLED BY LENDING AUTHORITY)

1. Certified that the particulars given by

   Shri/Kumar/Smt.________________________________

   Designation ________________________________

   Part-I are correct.

2. Certified that no Vigilance/Disciplinary case is either pending of contemplated against him/her.

3. In case of selection he/she will be relieved of his/her duties immediately to take up his/her new assignment.

4. His/her APAR Dossier containing reports for last five years, No Penalty Statement Certificate and Integrity Certificate are enclosed.

Signature
(Name of the Authority)
Designation:____________
Department/Ministry____________
Official Seal____________
Telephone No.____________

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एंव गंगा संरक्षण
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना सात

सेवा भवन 5वीं तल कमरा नं.528 (उ.)
आर.के. पुरम, नई दिल्ली.110066
दिनांक: 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर केन्द्रीय जल आयोग, दिल्ली के कार्यालय में स्टोरकीपर का पद भरने के संबंध में।

निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों मे से प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग, दिल्ली के कार्यालय में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के समरूप वेतनमान स्तर-4 (रू.25500-81100) (6वें वेतन आयोग के अनुसार रू.5200-20200/- के पे बैंड-1 और ग्रेड पे 2400/-) में स्टोरकीपर के एक पद को भरने का प्रस्ताव हैः-

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कर्मचारीः

(क) (i) मूल संवर्ग/अथवा विभाग में नियमित आधार पर इसके समकक्ष पद पर कार्य कर रहे हों; अथवा

(ii) मूल संवर्ग/विभाग में 1900/-रू ग्रेड पे अथवा समकक्ष सहित 5200-20200/-रू. (वेतन मैट्रिक्स में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के समरूप वेतनमान स्तर-2 है) के पे बैंड में पीबी-1 के पदों पर आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव रखते होंः

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक हों।
(ii) स्टोर और स्टोर लेखा में कार्य करने का तीन वर्षों का अनुभव।

2. इस कार्यालय अथवा केन्द्र सरकार के अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के पूर्ववर्ती कार्यालय में अन्य बाह्य संवर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4 . प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों को एक सामान्य ग्रेड पे या वेतनमान सहित एक श्रेणी मे विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी |

5. चयनित अधिकारियों का वेतनमान डीओपीटी के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 05.01.1994 के का.ज्ञा.सं.2/29/91-स्था.पीसी(ii) के अनुसार नियमित की जाएगी।

6. अन्य निबंधन और शर्तें जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश/नियमों में निर्धारित की गई है, वे भी लागू होंगी।

7. यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदन इसके साथ संलग्न प्रपत्र में दो प्रतियों में निम्न सहित भरा जाएः-

(i) पिछले पांच वर्षों की एपीएआर की सत्यापित प्रतियां।

(ii) सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र।

(iii) इच्छुक और पात्र कर्मचारियों जिन्हें उनके चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, के संबंध में कोई शास्ति बकाया नहीं विवरण और सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र को इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से और रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने, जो भी बाद में हो, की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस आयोग को भिजवाए जाए।

8. निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त अथवा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नः प्रपत्र।

Digitally signed by
NISHA GUPTA
Date: 07-08-2026
16:47:18

(निशा गुप्ता)
अवर सचिव

दूरभाष: 011.29583287

प्रतिलिपिः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

2. के.ज.आ. के सभी अधीनस्थ कार्यालय/नदी आंकड़ा निदेशालय, के.ज.आ., वेस्ट ब्लाक-I, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।

3. सभी अनुभाग/निदेशालय/इकाइयां, के.ज.आ.।

4. निदेशक, एसएमडी, के.ज.आ. को इसे के.ज.आ. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

5. अवर सचिव (स्था.I), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

6. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नौर्थ ब्लाक, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए।

7. फाइल फोल्डर।

भाग – I

जीवन-वृत्त प्रपत्र

1.	नाम		
2.	जन्मतिथि		
3.	केन्द्र सरकार नियमावली के तहत सेवानिवृति की तारीख		
4.	शैक्षिक योग्यता		
5.	क्या पद के लिये अपेक्षित अनुभव को पूरा करते है		
6.	वर्तमान तैनाती का पद, इस पर तैनाती की तारीख और उसकी ग्रेड पे और पे बैंड		
7.	क्या निम्न के लिए विचार करने के इछुक है		
	(क) प्रतिनियुक्ति के आधार पर		
	(ख) समायोजन के आधार पर		
8.	स्टोर संभालने और स्टोर लेखा का अनुभव		
9.	सेवा का ब्यौरा		
	(1) धारित पद का नाम और नियोक्ता		
	(2) .... से .... तक		
	(3) पे बैंड और ग्रेड पे		
	(4) नियुक्ति का प्रकार अर्थात क्या तदर्थ अथवा नियमित है		
10.	क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित है		
11.	पत्राचार का पता और टेलीफोन संख्या		
12.	टिप्पणी यदि कोई हो		

मैंने पद रिकित परिपत्र/ विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है मुझे भली प्रकार ज्ञात है कि मेरे द्वारा जीवनवृत्त के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की, इस पद के लिए चयन के समय चयन समिति द्वारा भी जाँच की जाएगी

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

जारी....पृ.2 /–

भाग—।।

(नियंत्रक अधिकारी द्वारा भरा जाए)

1. प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी...

पदनाम...

द्वारा भाग—। में दी गई जानकारी सही है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उसके विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामले न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।
3. चयन हो जाने की स्थिति में, उन्हें तत्काल अपने पद से कार्यमुक्त किया जाए ताकि वे नई नियुक्ति पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।
4. उनकी गत 5 वर्ष की रिपोर्ट वाला एपीएआर डोजियर, कोई शास्ति नहीं विवरण और सत्यनिष्ठा प्रमाण—पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

(प्राधिकारी का नाम)

पदनाम :..
विभाग/मंत्रालय :..
कार्यालय मोहर ....
दूरभाष संख्या ....